राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे, स्थान–सभाकक्ष, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, अटल नगर में श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के निम्न सदस्य उपस्थित थेः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री अरुण प्रसाद, सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

प्रारंभ में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति के सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। ऐजेण्डा के क्रम में निम्नानुसार चर्चा की गईः–

ऐजेन्डा आईटम नं.–1: 253वीं बैठक दिनांक 30/08/2018 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 253वीं बैठक दिनांक 30/08/2018 को आयोजित की गई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है तथा समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा। इसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

ऐजेन्डा आईटम नं.–2: दिनांक 13/08/2018 तक प्राप्त नये आवेदन (प्रथम बार चर्चा हेतु) के पर्यावरणीय स्वीकृति /टीओआर बाबत् निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स केल्कर प्रोडक्टस् प्राइवेट लिमिटेड (सीमेंट ग्राईंडिंग यूनिट), ग्राम–भूपदेवपुर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (718)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 74764/ 2018, दिनांक 25/04/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 26/1, कुल एरिया 3.5 हेक्टेयर, ग्राम–भूपदेवपुर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ में सीमेंट ग्राईंडिंग यूनिट 0.66 एमटीपीए (02 गुणा 1000 टन/दिन) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 75 करोड़ (फेज 01 हेतु 42 करोड़ एवं फेज 02 हेतु 33 करोड़) होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – कोई नहीं।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ सीमेंट ग्राईंडिंग यूनिट स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत करें।
2. दूषित जल उपचार हेतु व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाये।
3. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाये।
4. रॉ–मटेरियल एवं सीमेंट के परिवहन व्यवस्था (रेल / सड़क मार्ग) का विवरण मटेरियल बैलेंस सहित प्रस्तुत की जाये।
5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
7. ले–आउट में प्रस्तावित सभी कार्यकलापों एवं वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये।
8. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
9. प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।
10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स अरपा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गतौरी, तहसील व जिला–बिलासपुर (731)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 28207/ 2018, दिनांक 12/07/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नम्बर 379/2, 381/1, 381/2, 383/1, 383/2, 384, 385, 386/2, 389, 391/1, 391/2, 392,

393/1 एवं 393/2, ग्राम–गतौरी, तहसील व जिला–बिलासपुर, कुल एरिया 4.11 हेक्टेयर में स्थापित कोल साईजिंग प्लांट के 0.15 मिलियन टन/वर्ष से वेट टाईप कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 775 लाख है।

पूर्व बैठक का विवरण – कोई नहीं।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ कोलवॉशरी स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत करें।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये। कोलवॉशरी के विभिन्न गतिविधियों यथा प्लांट–मशीनरी की स्थापना, कच्चे कोल / वॉश्ड कोल / रिजेक्ट के भण्डारण, हथालन, आंतरिक पार्किंग क्षेत्र, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, पर्यावरण सरंक्षण के उपायों, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स (रि–चार्ज पॉण्ड एवं पिट्स), सघन वृक्षारोपण (प्रस्तावित कोल वॉशरी हेतु परिसर के चारों तरफ कम से कम 15 मीटर) आदि हेतु उपलब्ध भूमि पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। आवेदित क्षमता के अनुसार उपरोक्त कार्यों हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने अथवा न होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. दूषित जल उपचार हेतु व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाये।
5. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, रॉ–कोल, वाश्ड कोल, रिजेक्ट कोल के परिवहन रुट एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत की जाये। साथ ही वर्तमान में स्थापित कोल साईजिंग प्लांट हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
6. ठोस अपशिष्टों (रिजेक्ट कोल एवं कोल स्लज) के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
7. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
8. ले–आउट में प्रस्तावित सभी कार्यकलापों एवं वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये।
9. ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।
10. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. मेसर्स आर.आर. इस्पात (ए युनिट ऑफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर (732)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 28324/ 2018, दिनांक 19/07/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नं. 490/1, 237/3, 237/6, 476/2, 483, 484, 485,(पार्ट), 486, 490/2, (पार्ट), 487, (पार्ट), 488, 489/2, (पार्ट), 474(पार्ट), 489, 490/2 489/1, 488, 497, 485, 486, 490/2, (पार्ट), 496 (पार्ट), 239/1, 239/2, 240, 241, 236/1, 236/2, 327/1, 327/2, 327/2, 327/3, 328/1, 328/2, 330/1, 330/2, 271/6, 324/1, 271/5, एवं कुल एरिया 5.348 हेक्टेयर, उरला इण्इट्रीयल एरिया, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर में रोलिंग मिल क्षमता–2,14,000 टन/वर्ष से 3,00,000 टन/वर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित 1,00,000 टन/वर्ष एवं री–हीटिंग आधारित 2,00,000 टन/वर्ष) एवं backward integration के तहत् स्टील मेल्टिंग शॉप विथ एल.आर.एफ. क्षमता–2,45,000 टन/वर्ष (15 टन गुणा 06 नग) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार एवं backward integration के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 48.50 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – कोई नहीं।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त की जाये।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19/01/2018 में कुल क्षेत्रफल 7.899 हेक्टेयर बताया गया था, किन्तु वर्तमान में क्षमता विस्तार हेतु प्रस्तुत आवेदन में कुल क्षेत्रफल 5.348 हेक्टेयर बताया गया है। उक्त विसंगतियां बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत की जाये।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये।
5. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।

6. आवश्यक रॉ–मटेरियल की मात्रा एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

7. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये। प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित।

8. वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस से पटिकुलेट मेटर उर्त्सजन की निर्धारित मात्रा एवं क्षमता विस्तार उपरांत रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस तथा इण्डक्शन फर्नेस से पटिकुलेट मेटर उर्त्सजन की मात्रा संबंधी जानकारी।

9. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।

10. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाये।

11. ले–आउट में स्थापित एवं प्रस्तावित सभी कार्यकलापों एवं वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. मेसर्स ए.आर. इस्पात, प्लाट नं. 232, ओ.पी. जिंदल इन्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (733)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 28378/ 2018, दिनांक 23/07/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् नं. 232, कुल एरिया 2.02 हेक्टेयर, ओ.पी. जिंदल इन्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़, एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–1,80,000 टन/वर्ष (Upgradation of existing 02X07 Ton to 02X12 Ton and establishing new 03X12 Ton) एवं रोलिंग मिल क्षमता–1,70,000 टन/वर्ष (01X500

TPD) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 76.92 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – कोई नहीं।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
3. आवश्यक रॉ–मटेरियल एवं उत्पाद की मात्रा एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
4. वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित। क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस हेतु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई संबंधी गणना सहित जानकारी। प्रस्तावित रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
5. वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से पर्टिकुलेट मेटर उर्त्सजन की निर्धारित मात्रा एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार के अतंर्गत इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस (यदि हो) से पर्टिकुलेट मेटर उर्त्सजन की मात्रा संबंधी जानकारी।
6. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
7. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।
8. ले–आउट में स्थापित एवं प्रस्तावित सभी कार्यकलापों एवं वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. मेसर्स आर.आर. इस्पात युनिट 2 (ए युनिट ऑफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर (734)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 28427/ 2018, दिनांक 26/07/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नं. 271/11, 262/6, 262/3, 271/8, 271/62, 271/63, 271/64, 262/2 एवं 271/पार्ट, कुल एरिया 2.194 हेक्टेयर, उरला इण्इट्रीयल एरिया, ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–रायपुर में स्टील मेल्टिंग शॉप (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–59,400 टन/वर्ष (12 टन गुणा 02 नग) एवं रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता–30,000 टन/वर्ष से 59,500 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 22.80 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – कोई नहीं।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त की जाये।
3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये। यह स्पष्ट किया जावे कि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
4. आवश्यक रॉ–मटेरियल एवं उत्पाद की मात्रा एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
5. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस हेतु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई संबंधी गणना सहित जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
6. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा,

दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।

7. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।

8. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।

9. ले–आउट में स्थापित एवं प्रस्तावित सभी कार्यकलापों एवं वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

6. मेसर्स वंदना रोलिंग मिल लिमिटेड, सेक्टर–ए, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (735)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/75984/ 2018, दिनांक 28/07/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्लाट नं. 56/बी, 57/बी, 58, 59, 61, 62 एवं 63, कुल एरिया 1.43 हेक्टेयर, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर में माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता–47,369 टन/वर्ष, री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–57,000 टन/वर्ष (हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता–45,000 टन/वर्ष एवं स्थापित री–हीटिंग फर्नेस आधारित री–रोलिंग मिल क्षमता–29,000 टन/वर्ष को कम कर 12,000 टन/वर्ष) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 18.21 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – कोई नहीं।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।

2. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त की जाये।

3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये। यह स्पष्ट किया जावे कि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि

भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।

4. आवश्यक रॉ–मटेरियल एवं उत्पाद की मात्रा एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

5. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस हेतु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई संबंधी गणना सहित जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

6. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।

7. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।

8. ले–आउट में स्थापित एवं प्रस्तावित सभी कार्यकलापों एवं वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये।

9. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।

10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

7. मेसर्स इस्पात इंडिया, प्लाट नं. 4 एवं 9, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, फेज 2, सिलतरा, तहसील व जिला रायपुर (728ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 27903/ 2018, दिनांक 28/06/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्लाट नं. 4 एवं 9, कुल एरिया 1.59 हेक्टेयर, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, फेज 2, सिलतरा, तहसील व जिला रायपुर में एम.एस बिलेट्स (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–59,000 टन/वर्ष से 1,46,520 टन/वर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–55,000 टन/वर्ष से 1,39,194 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 45.60 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – कोई नहीं।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. आपके द्वारा आवेदन में एम.एस बिलेट्स (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–59,000 टन/वर्ष से 1,46,520 टन/वर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–55,000 टन/वर्ष से 1,39,194 टन/वर्ष में क्षमता विस्तार प्रस्तावित किया गया है। इन इकाईयों की स्थापना/प्रारंभ करने की तिथि, इस हेतु पूर्व में प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये।
4. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये। यह स्पष्ट किया जावे कि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
5. आवश्यक रॉ–मटेरियल एवं उत्पाद की मात्रा एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
6. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी गणना सहित जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस हेतु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई संबंधी गणना सहित जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

7. वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस (यदि कोई) एवं इण्डक्शन फर्नेस से पर्टिकुलेट मेटर उर्त्सजन की निर्धारित मात्रा एवं क्षमता विस्तार उपरांत रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस (यदि कोई) तथा इण्डक्शन फर्नेस से पर्टिकुलेट मेटर उर्त्सजन की मात्रा संबंधी जानकारी।

8. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।

9. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।

10. ले–आउट में स्थापित एवं प्रस्तावित सभी कार्यकलापों एवं वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

8. मेसर्स खेमलाल वर्मा, ग्राम–बिटकुली, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार (704)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74448/2018, दिनांक 13/04/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में प्रस्तुत आवेदन में कमियां होने के कारण परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 16/07/2018 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/08/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 387, 401/1, 2, 3, 402/7, 8, 9, ग्राम–बिटकुली, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्र 4.196 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 77,000 टन/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. ग्राम पंचायत बिटकुली द्वारा दिनांक 06/01/2011 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय वन मंडलाधिकारी बलौदाबाजार, वन मंडल बलौदाबाजार के पत्र क्र. 2779 दिनांक 08/08/2018 द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस पत्र में यह उल्लेखित है कि ''किसी प्रकार का वन आच्छादित नहीं है और न ही आसपास कोई छोटे–बड़े झाड़ का जंगल है।''

3. सेकंड स्कीम ऑफ माईनिंग एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक 762/आरएपी/एलएसटी/एमपीएलएन/नागपुर/ दिनांक 28/04/2015 (अवधि 2015–16 से 2017–18 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

4. उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के पत्र क्रमांक 671/ख.लि./तीन–6/2017 बलौदाबाजार, दिनांक 31/07/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में कुल 04 खदानें रकबा 7.741 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–बिटकुली 01 कि.मी., स्कूल ग्राम–सुहेला 05 कि.मी. एवं सरकारी अस्पताल 05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. **लीज डीड की जानकारीः–** लीज डीड श्री खेमलाल वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 17/12/2002 से 16/12/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।

4. माईनेबल रिजर्व 16,52,643 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र छोड़ा गया है। वर्तमान में उत्खनन की गहराई 10 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर होगी। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। खदान की संभावित आयु 22 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 05 कि.ली./दिन है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा।

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

पूर्व बैठक का विवरण – कोई नहीं।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 66933/2017, दिनांक 25/07/2017 प्रस्तुत किया गया था। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन का प्रकरण होने पर तत्समय लागू संशोधन अधिसूचना दिनांक 14/03/2017 के प्रावधानों के तहत् एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के पत्र क्रमांक 901 दिनांक 22/01/2018 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार दिनांक 13/04/2018 को ऑनलाईन आवेदन किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन

एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया किः–

1. पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान (खदान से उत्खनन प्रारंभ के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान) की प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन से भिन्न क्या माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट की जाये। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दिया जाये।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाये।
5. यह स्पष्ट किया जावे कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

9. मेसर्स मोहरेंगा लाईम स्टोन माईन (श्री योगेन्द्र वर्मा), ग्राम–मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (709)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74583/2018, दिनांक 14/04/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में प्रस्तुत आवेदन में कमियां होने के कारण परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 16/07/2018 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/08/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 786/1 एवं 489, ग्राम–मोहरेंगा एवं खसरा नं. 738, 739, ग्राम–खौलीडबरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 4.527 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 27,500 टन/वर्ष है। शासकीय भूमि 2.021 हेक्टेयर एवं निजी भूमि 2.506 हेक्टेयर है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. ग्राम पंचायत मोहरेंगा द्वारा दिनांक 26/01/2004 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. रीव्यू ऑफ माईनिंग एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक 1093/चूप/खयो/2017/रायपुर दिनांक 23/05/2017 (अवधि 2017–18 से 2020–21 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के पत्र क्रमांक 649/ख.लि./तीन–6/2017 रायपुर, दिनांक 05/09/2017 के अनुसार शासन द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में कुल 01 खदान, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट रकबा 689.648 हेक्टेयर क्षेत्र पर सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–मोहरेंगा 1.2 कि.मी. एवं ग्राम–खौलीडबरी 2.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–मोहरेंगा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल खरोरा 5.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.6 कि.मी. एवं राज्य मार्ग 36 कि.मी. है। सीजनल नाला 1.5 कि.मी. दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. **लीज डीड की जानकारीः–** लीज डीड श्री योगेंद्र वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् 19/11/2007 से 18/11/2037 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. माईनेबल रिजर्व 1,63,499 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई लगभग 05 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5.94 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 05 कि.ली./दिन है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा।

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

पूर्व बैठक का विवरण – कोई नहीं।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 66814/2017, दिनांक 18/06/2017 प्रस्तुत किया गया था। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन का प्रकरण होने पर तत्समय लागू संशोधन अधिसूचना दिनांक 14/03/2017 के प्रावधानों के तहत् एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के पत्र 880, दिनांक 22/01/2018 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया था।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार दिनांक 14/04/2018 को ऑनलाईन

आवेदन किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया किः–

1. पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान (खदान से उत्खनन प्रारंभ के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान) की प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन से भिन्न क्या माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट की जाये। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दिया जाये।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाये। साथ ही क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में प्रस्तुत रिटर्न की प्रति (अद्यतन स्थिति में) प्रस्तुत की जाये।
5. यह स्पष्ट किया जावे कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

10. मेसर्स कृष्णा स्टील, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर (737)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 28673/2018, दिनांक 10/08/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नम्बर 38 एवं 39, कुल एरिया 4250 वर्गमीटर, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर में Existing 1.5 MVA Arc Furnace for Iron and steel Product Change in Existing 1.5 MVA Arc Furnace from casting of Iron and steel to Ferro alloys Proposed additional 2 x 2.5 MVA Arc Furnace for Ferro alloys Proposed Capacity - 16,800 MTPA के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 5 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – कोई नहीं।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तुत आवेदन में

Manganese Ore का उपयोग रॉ–मटेरियल हेतु किया जाना प्रस्तावित है, जो कि प्रायमरी मेटलर्जीकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) के अंतर्गत आता है। अतः यह प्रकरण केटेगरी 'ए' का है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित आवेदन 'ए' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

11. मेसर्स इमामी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–ढ़नढ़नी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार भाटापारा (529)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन / 17803 / 2015, दिनांक 10 / 08 / 2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में दिनांक 18 / 06 / 2015 को चूना पत्थर उत्खनन क्षमता – 0.68 मिलियन टन / वर्ष, कुल एरिया 35.864 हेक्टेयर, ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 20.00 करोड़ है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3511 दिनांक 28 / 10 / 2015 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) माईनिंग ऑफ मिनरल्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 04 / 12 / 2015 को जारी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) में चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 0.68 मिलियन टन / वर्ष से 0.725 मिलियन टन / वर्ष संशोधन हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 04 / 04 / 2016 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जारी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) में चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 0.68 मिलियन टन / वर्ष से चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 0.725 मिलियन टन / वर्ष, कुल एरिया 35.864 हेक्टेयर, ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा हेतु संशोधित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) जारी किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 210वीं बैठक दिनांक 08 / 12 / 2016 में प्रकरण पर प्रस्तुतीकरण हेतु विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया थाः–

1. **अनुमोदित माईनिंग प्लान –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्युरो नागपुर के पत्र दिनांक 17 / 07 / 2015 द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. **भू–स्वामित्व संबंधी विवरण –** प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि कुल एरिया 35.864 हेक्टेयर में से 7.311 हेक्टेयर का आधिपत्य

कंपनी के नाम पर है। शेष 28.553 हेक्टेयर भूमि खरीदा जाना प्रस्तावित है, जिसमें से कुछ भूमि का भू–स्वामित्व आदिवासियों के भी है।

3. **एल.ओ.आई. की जानकारी –** खनिज विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 2–15/ 2013/ 12(2) दिनांक 05/09/2014 के द्वारा कुल एरिया 35.864 हेक्टेयर हेतु जारी किया गया।
4. माईनेबल रिजर्व 11.775 मिलियन टन है। अधिकतम गहराई 30 मीटर प्रस्तावित है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जावेगा। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग (नॉन इलेक्ट्रिक इगनिशन सिस्टम द्वारा) किया जावेगा। बेंच की ऊंचाई 6.0 मीटर एवं चौड़ाई 15 मीटर है। गारलेण्ड ड्रेन बनाया जावेगा। रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना किया जायेगा। सी.एस.आर. के अंतर्गत विभिन्न कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा। ग्रीन बेल्ट हेतु 8.677 हेक्टेयर (1500 पौधे /हेक्टेयर) में 13016 पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा।
5. **जल उपयोग की मात्रा –** परियोजना में प्रतिदिन लगभग 20 किलोलीटर/दिन जल खपत होगी। घरेलू उपयोग हेतु 02 किलोलीटर/दिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 08 किलोलीटर/दिन (सीमेंट प्लान से प्राप्त उपचारित घरेलू दूषित जल) एवं ग्रीन बेल्ट 10 किलोलीटर/दिन (सीमेंट प्लांट से प्राप्त उपचारित घरेलू दूषित जल) जल खपत होगी।
6. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट की व्यवस्था की जायेगी। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।
7. **ठोस अपशिष्ट की मात्रा –** परियोजना से 4,71,000 घनमीटर ओवर बर्डन जनित होगा, जिसे डंप किया जायेगा एवं कुछ भाग खनन एरिया में पुर्नभराव हेतु उपयोग किया जायेगा।
8. **लोक सुनवाई संबंधी विवरण –** लोक सुनवाई दिनांक 24/10/2016 प्रातः 11:00 बजे स्थान हाई स्कूल प्ले ग्राउण्ड, ग्राम–ढनढनी, तहसील– बलौदाबाजार, जिला– बलौदाबाजार – भाटापारा में संपन्न हुई। सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 21/11/2016 के द्वारा लोक सुनवाई के दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
9. **लोक सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं :–**

- जो वॉटर लेवल डेमेज होगा, जंगल प्रभावित होगा, उसकी समय–समय पर जाँच होना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के वासियों को स्वस्थ वातावरण मिलें।
- प्रभावित क्षेत्र जहाँ कंपनी ने जमीन खरीदी है, उसके परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिले।
- ग्राम वासियों को पानी मिले, यहाँ पानी की कमी है, बलौदाबाजार में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, बलौदाबाजार मे सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बने ताकि आस–पास के लोगों व कंपनी के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधा मिले।
- यहाँ सड़के बहुत खराब है, पानी की समस्या है, गोठान की समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। सड़क के किनारे की बंजर भूमि पर फलदार वृक्षों की व्यवस्था हो।
- ब्लास्टिंग की वजह से मकानों में क्या प्रभाव होता है, यह अध्ययन किया जावे।
- रूरल डेव्ल्पमेंट व स्किल डेव्ल्पमेंट के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाये जावे।

- सी.एस.आर राशि से कुकुरडी बांध का गहरीकरण किया जावे, यह तालाब सुख रहा है, गहरीकरण से इसमें पानी भर सकेगा व सिचांई हो सकती है।
- जल संग्रहण के लिए हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाई जाए, इससे वॉटर लेवल बढ़ेगा। आस–पास के गांव में वृक्षारोपण कार्य किया जाये। स्थानीय बरोजगारों को रोजगार में प्राथमिकता मिले। गांव, कंपनी व सरकार की एक को–आर्डिनेशन कमिटी होना चाहिए, जिससे डिमांड के मुताबिक काम कराया जा सके।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों की वस्तुस्थिति एवं कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैः–

- उद्योग द्वारा ग्राउण्ड वॉटर टेबल को रिचार्ज किये जाने हेतु वॉटर रिजर्व वॉयर एवं रेन वॉटर हार्वेटिंग पिट का निर्माण किया जावेगा।
- उद्योग द्वारा आवश्यकतानुसार, योग्यतानुसार एवं अनुभव के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा।
- उद्योग द्वारा लगातार ग्रामवासियों हेतु मेडिकल चेकअप कैंप की व्यवस्था की जावेगी।
- उद्योग द्वारा ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन किया जावेगा।
- उद्योग द्वारा विभिन्न सुरक्षा उपायों के साथ नियमानुसार खनन कार्य किया जावेगा।
- उद्योग द्वारा सी.एस.आर. के तहत् रूरल डेव्हलपमेंट व स्किल डेव्हलपमेंट का कार्य किया जावेगा।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 217वीं बैठक दिनांक 21/02/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. निर्धारित टी.ओ.आर. के अनुसार स्लोप स्टेबिलिटी स्टडी, ब्लास्टिंग / वाईब्रेशन स्टडी आदि का समावेश कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना की संपूर्ण भूमि उसके स्वामित्व की नहीं है। केवल आंशिक भूमि ही स्वामित्व में है तथा कुछ भूमि के लिए अन्य भूमि स्वामियों से सहमति ली गई है, जो मुख्यतः आदिवासी हैं।

   निर्धारित टी.ओ.आर. अनुसार स्लोप स्टेबिलिटी स्टडी, ब्लास्टिंग / वाईब्रेशन स्टडी आदि का समावेश कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने तथा परियोजना की संपूर्ण भूमि का स्वामित्व और /अथवा भूमि में उत्खनन कार्य करने की स्वीकृति संबंधी संबंधित भू–स्वामियों से अनुबंध नहीं होने के कारण समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् वर्तमान में अनुशंसा नहीं करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वर्तमान में प्रस्तुत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन को डि–लिस्ट करने की अनुशंसा की गई।

   उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 118, दिनांक 27/04/2017 द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन को डि–लिस्ट /निरस्त किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के कारण प्रकरण समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. निर्धारित टी.ओ.आर. के अनुसार स्लोप स्टेबिलिटी स्टडी, ब्लास्टिंग / वाईब्रेशन स्टडी आदि का समावेश कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
2. कुल एरिया 35.864 हेक्टेयर में से 9.884 हेक्टेयर भूमि कंपनी के नाम पर एवं 9.023 हेक्टेयर भूमि हेतु संबंधित भूमि स्वामियों से सहमति प्राप्त की गई है। वर्तमान में 16.957 हेक्टेयर भूमि क्रय / सहमति हेतु शेष है, जिसमें से 2.901 हेक्टेयर भूमि अनुसूचित जाति, 8.459 हेक्टेयर अनुसूचित जनजाति एवं 5.597 हेक्टेयर भूमि अन्य के नाम पर है। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना की संपूर्ण भूमि उसके स्वामित्व की नहीं है। केवल आंशिक भूमि (27.55 प्रतिशत) ही स्वामित्व में है तथा कुछ भूमि के लिए अन्य भूमि स्वामियों (25.15 प्रतिशत) से सहमति ली गई है, जो मुख्यतः आदिवासी हैं। अधिग्रहण हेतु शेष 16.957 हेक्टेयर भूमि में से 8.459 हेक्टेयर (49.88 प्रतिशत) भूमि अनुसूचित जनजाति एवं 2.901 हेक्टेयर (17.10 प्रतिशत) भूमि अनुसूचित जाति के नाम पर है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया किः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
2. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (संपूर्ण भूमि कंपनी के नाम पर) दिनांक 01/12/2018 तक प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

ऐजेन्डा आईटम नं.–3ः औद्योगिक परियोजनाओं एवं गौण / मुख्य खनिज परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों की जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत पुनर्विचार कर प्रकरणों के पर्यावरणीय स्वीकृति /टीओआर बाबत् निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स बी.एल. रामानी लाईम स्टोन माईन, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (542)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61454/2016, दिनांक 31/12/2016। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुर्नविचार हेतु दिनांक 19/07/2018 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 420, 421, 422, 438, 439, 440, 441 एवं 459, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.525 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 9,000 टन/वर्ष है।

टर्म्स ऑफ रेफरेन्स संबंधी जानकारी – परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/01/2018 द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी/ पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुख्य रूप से निम्न तथ्य /अनुरोध किया गया हैः–

- कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 596 दिनांक 27/05/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में स्वीकृत / विद्यमान खदानों का कुल क्षेत्रफल 17.89 हेक्टेयर है, जो कि 25 हेक्टेयर से कम है।

- पूर्व में ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, सहगांव एवं मेड़ेसरा में अन्य चूना पत्थर खदानों को बी–2 केटेगरी का मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

- अगस्त 2015 में खदान से एक कि.मी. दूर स्थित M/S ACC Limited रकबा 53 हेक्टेयर के द्वारा उक्त खदान के चारों ओर 10 कि.मी. क्षेत्र में EIA Study एवं Public Hearing कराई जा चुकी है। आवेदित खदान M/S ACC Limited के एक कि.मी. की परिधि में है एवं 4 कि.मी. की परिधि में स्थित Bhilai Steel Plant की चूना पत्थर खदान रकबा 549.03 हेक्टेयर हेतु जून 2016 से सितम्बर 2016 तक 10 कि.मी. की परिधि में EIA Study कराई जा चुकी है तथा फरवरी 2018 में EIA Study कराई जा चुकी है। अतः आवेदित खदान हेतु EIA Study एवं Public Hearing से छूट देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया जावे।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा निम्न तथ्यो के आधार पर विचार विमर्श किया गया :–

1. विचाराधीन प्रकरण मुख्य खनिज उत्खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति का है।

2. संशोधित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के द्वारा गौण खनिजों हेतु अधिसूचना के अनुसूची 11 में पूर्व में परिभाषित क्लस्टर को संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार ''कोई क्लस्टर उस समय बनाया जायेगा जब एक लीज परिसरों के बीच की दूरी उस सदृश्य खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है, जो 9 सितंबर 2013 को और उसके पश्चात् अनुदत्त खान पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों को लागू होगी।''

3. इस संशोधन अधिसूचना में राजस्थान राज्य के गौण खनिजों के खनन के लिये यह प्रावधान रखा गया है कि ''ऐसे पट्टे जो तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए प्रवर्तनशील नहीं है और ऐसे पट्टे जिन्हें 15/01/2016 तक पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त हो गई है क्लस्टर के क्षेत्र की संगणना करने के लिए नहीं गिने जाएंगे, किंतु पर्यावरण प्रबंध योजना और क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रबंध योजना में सम्मिलित किए जाएंगे।''

   उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि छूट संबंधी प्रावधान केवल गौण खनिजों हेतु है। मुख्य खनिजों हेतु यह लागू नहीं है।

4. छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली को निम्न तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 28/03/2018 को प्रेषित किया गया है:–

   a. Whether, existing provisions in the EIA Notification, 2006 for categorization of mining of minor minerals into category 'B1' & 'B2' including definition of cluster can also be applied in case of major minerals? and

   b. Whether, the existing provisions in the EIA Notification, 2006 regarding leases not operative for three years or more and leases having environmental clearance as on 15th January, 2016 should not be counted

for calculating the area of cluster can also be applied in case of major minerals?

इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

5. परियोजना प्रस्तावक का कथन कि आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में स्वीकृत / विद्यमान खदानों का कुल क्षेत्रफल 17.89 हेक्टेयर है, स्वीकार योग्य नहीं है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 596 दिनांक 27/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें रकबा 63.61 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं। आवेदित चूना पत्थर खदान (ग्राम–नंदनी–खुंदनी) रकबा 3.525 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित चूना पत्थर खदान (ग्राम–नंदनी–खुंदनी) को मिलाकर कुल 67.135 हेक्टेयर है। अतः 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।

6. पूर्व में ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, सहगांव एवं मेड़ेसरा में कुछ खदानों को तत्समय लागू प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

7. किसी एक परियोजना हेतु बनाये गये ई.आई.ए. रिपोर्ट तथा लोक सुनवाई 10/05 कि.मी. की परिधि में स्थित अन्य खदानों/परियोजनाओं हेतु लागू नहीं माना जा सकता, क्योंकि पूर्व में अन्य परियोजना हेतु बनाये गये इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में अन्य खदानों/परियोजनाओं के जल, वायु, ठोस अपशिष्टों आदि प्रदूषण भार की गणना, उत्पन्न दूषित जल का समीपस्थ जल स्त्रोतों पर प्रभाव, परिवेशीय वायु में ग्राउड लेवल कन्सन्ट्रेशन की गणना, मिटीगेशन मेजर्स, अध्ययन परिधि में आने वाले अतिरिक्त प्रभाव क्षेत्र आदि का समावेश नहीं किया गया होता है।

8. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर क्लस्टर परिभाषित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही अर्थात् क्लस्टर हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने, क्लस्टर में शामिल सभी लीज हेतु संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाने तथा लोक सुनवाई कराये जाने हेतु खनिज साधन विभाग के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 31/03/2018 को अनुरोध पत्र लिखा गया है, जिससे संबंधित परियोजना प्रस्तावकों / खदान लीज धारकों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने में सरलता हो सकेगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. उपरोक्त तथ्यो के आधार पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के दृष्टिगत गौण खनिजों हेतु लागू क्लस्टर की परिभाषा में दी गई छूट को मुख्य खनिजों हेतु लागू नहीं माना जा सकता तथा खदान को बी–2 श्रेणी के अतर्गत मानकर ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई से छूट संबंधी परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर क्लस्टर परिभाषित करते हुए क्लस्टर हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने, क्लस्टर में शामिल सभी लीज हेतु संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाने तथा लोक सुनवाई कराये जाने हेतु खनिज साधन विभाग के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव, संचालनालय,

भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित करने हेतु अनुशंसा की गई।

सचिव, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स श्री भगतराम साहू (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (539)

ऑनलाईन आवेदन – **प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61378/2016, यह आवेदन दिनांक 28/12/2016 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुर्नविचार हेतु दिनांक 16/07/2018 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 1892, 1893 एवं 1896, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 0.955 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,100 टन/वर्ष है।

टर्म्स ऑफ रेफरेन्स संबंधी जानकारी – परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 881 दिनांक 22/01/2018 द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी/ पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुख्य रूप से निम्न तथ्य /अनुरोध किया गया हैः–

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 1969 दिनांक 30/12/2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 09 खदानें रकबा 30.75 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान है, उक्त सभी खदानों की लीज दिनांक 09/09/2013 के पूर्व की है।

- EIA Study के संबंध में परियोजना प्रस्तावक कथन है कि खदान से 01 से 03 कि.मी. की परिधि में स्थित M/S Bhilai Steel Plant, M/S J. K. Lakshmi Cement Limited एवं M/S Pathariya Limestone Mine of ACC Cement Plant द्वारा उक्त खदानों हेतु EIA Study एवं Public Hearing कराई जा चुकी है।

- आवेदित खदान की उत्खनन क्षमता 2,095.64 टन/वर्ष एवं क्षेत्रफल 0.955 हेक्टेयर है, जो कि बहुत कम है। अतः आवेदित खदान हेतु EIA Study एवं Public Hearing से छूट देते हुए बी–2 केटेगरी का मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करें।

उपरोक्त अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति का मत था किः–

1. विचाराधीन प्रकरण मुख्य खनिज उत्खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति का है।
2. संशोधित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के द्वारा गौण खनिजों हेतु अधिसूचना के अनुसूची 11 में पूर्व में परिभाषित क्लस्टर को संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार ''कोई क्लस्टर उस समय बनाया जायेगा जब एक लीज

परिसरों के बीच की दूरी उस सदृश्य खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है, जो 9 सितंबर 2013 को और उसके पश्चात् अनुदत्त खान पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों को लागू होगी।''

3. इस संशोधन अधिसूचना में राजस्थान राज्य के गौण खनिजों के खनन के लिये यह प्रावधान रखा गया है कि ''ऐसे पट्टे जो तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए प्रवर्तनशील नहीं है और ऐसे पट्टे जिन्हें 15/01/2016 तक पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त हो गई है क्लस्टर के क्षेत्र की संगणना करने के लिए नहीं गिने जाएंगे, किंतु पर्यावरण प्रबंध योजना और क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रबंध योजना में सम्मिलित किए जाएंगे।''

   उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि छूट संबंधी प्रावधान केवल गौण खनिजों हेतु है। मुख्य खनिजों हेतु यह लागू नहीं है।

4. छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली को निम्न तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 28/03/2018 को प्रेषित किया गया हैः–

   a. Whether, existing provisions in the EIA Notification, 2006 for categorization of mining of minor minerals into category 'B1' & 'B2' including definition of cluster can also be applied in case of major minerals? and

   b. Whether, the existing provisions in the EIA Notification, 2006 regarding leases not operative for three years or more and leases having environmental clearance as on 15th January, 2016 should not be counted for calculating the area of cluster can also be applied in case of major minerals?

   इस संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 1969 दिनांक 30/12/2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 09 खदानें रकबा 30.75 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान है। अतः 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।

6. किसी एक परियोजना हेतु बनाये गये ई.आई.ए. रिपोर्ट तथा लोक सुनवाई 10/05 कि.मी. की परिधि में स्थित अन्य खदानों/परियोजनाओं हेतु लागू नहीं माना जा सकता, क्योंकि पूर्व में अन्य परियोजना हेतु बनाये गये इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में अन्य खदानों/परियोजनाओं के जल, वायु, ठोस अपशिष्टों आदि प्रदूषण भार की गणना, उत्पन्न दूषित जल का समीपस्थ जल स्त्रोतों पर प्रभाव, परिवेशीय वायु में ग्राउड लेवल कन्सन्ट्रेशन की गणना, मिटीगेशन मेजर्स, अध्ययन परिधि में आने वाले अतिरिक्त प्रभाव क्षेत्र आदि का समावेश नहीं किया गया होता है।

7. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर क्लस्टर परिभाषित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही अर्थात् क्लस्टर हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने, क्लस्टर में शामिल सभी लीज हेतु संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाने तथा लोक सुनवाई कराये जाने हेतु खनिज साधन विभाग के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 31/03/2018 को

अनुरोध पत्र लिखा गया है, जिससे संबंधित परियोजना प्रस्तावकों / खदान लीज धारकों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने में सरलता हो सकेगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. उपरोक्त तथ्यो के आधार पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के दृष्टिगत गौण खनिजों हेतु लागू क्लस्टर की परिभाषा में दी गई छूट को मुख्य खनिजों हेतु लागू नहीं माना जा सकता तथा खदान को बी–2 श्रेणी के अतर्गत मानकर ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई से छूट संबंधी परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर क्लस्टर परिभाषित करते हुए क्लस्टर हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने, क्लस्टर में शामिल सभी लीज हेतु संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाने तथा लोक सुनवाई कराये जाने हेतु खनिज साधन विभाग के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित करने हेतु अनुशंसा की गई।

सचिव, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. मेसर्स गहिरा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बोरझरा, तहसील व जिला–रायपुर (650)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 70936/ 2017, दिनांक 14/11/2017।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित परियोजना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 353/1 एवं 353/2, कुल एरिया 2.22 हेक्टेयर, ग्राम–बोरझरा, तहसील व जिला–रायपुर, एम.एस. इंगॉट/बिलेट थ्रु इंडक्शन फर्नेस क्षमता–59,900 टन/वर्ष, री–रोल्ड प्रोडक्ट्स– 56,905 टन/वर्ष एवं एम.एस. पाईप/ट्युब क्षमता–55,700 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 2500 लाख होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/11/2017 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की

संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी की जाये।

4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
5. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
6. ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 241वीं बैठक दिनांक 25/11/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सोहन लाल सिंघानिया, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
2. वर्तमान में उद्योग स्थापित नहीं है। यह एक नवीन परियोजना है एवं प्रस्तावित परियोजना में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं की जावेगी।
3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।
4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ शहर रायपुर 08 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 08 कि.मी. की दूरी पर है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर है।

   - परियोजना के उत्तर दिशा में स्थल से लगा हुआ मेसर्स सरस्वती विद्युत सी. एस.आई.डी.सी. द्वारा अलॉटेड भूमि 80 मीटर, मेसर्स श्री बजरंग पेंट 400 मीटर एवं मेसर्स श्री बजरंग पॉवर लिमिटेड 480 मीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण दिशा में स्थल से लगा हुआ मेसर्स सरस्वती विद्युत सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अलॉटेड भूमि, मेसर्स गोयल एनर्जी, मेसर्स रामा पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड 80 मीटर एवं मेसर्स सी.एस.पी.डी.सी.एल. सबस्टेशन 380 मीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व दिशा में स्थल से लगा हुआ मेसर्स सरस्वती विद्युत सी. एस.आई.डी.सी. द्वारा अलॉटेड भूमि, मेसर्स इण्डस स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड 130 मीटर एवं मेसर्स बी.के. रोलिंग मिल 450 मीटर एवं मेसर्स बी.के. ग्लास 460 मीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम दिशा में प्राइवेट इण्डस्ट्रीयल लेण्ड 80 मीटर एवं मेसर्स अलंकार स्टील्स मिल्स (री–रोलिंग मिल) 600 मीटर की दूरी पर स्थित है।

   - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** शेड का क्षेत्रफल 0.61 हेक्टेयर, रोड/पेव्ड का क्षेत्रफल 0.63 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.73 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2.22 हेक्टेयर है।

6. **रॉ–मटेरियल –** इंडक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन–56,905 टन/वर्ष, पिग आयरन/ हैवी स्क्रैप–8,985 टन/वर्ष एवं फेरो एलॉयज–599 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। ऑनलाईन हॉट चार्जिंग आधारित री–रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट बिलेट–59,900 टन/वर्ष तथा एम.एस. पाईप/ट्यूब मेकिंग में रॉ–मटेरियल के रूप में एम.एस. स्ट्रीप्स–56,905 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जावेगा।

7. **प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –** इण्डक्शन फर्नेस (03 गुणा 10 टन) विथ सी.सी.एम. एवं हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल की स्थापना की जावेगी। रोलिंग मिल में 12 स्ट्रैण्ड लगाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही स्टील पाईप मिल द्वारा री–रोल्ड स्टील को पाईप का रुप दिया जायेगा।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एम.एस. पाईप मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण किया जावेगा।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – मिल स्केल – 1198 टन/वर्ष, स्लेग – 8540 टन/वर्ष एवं मिस रोल एवं एण्ड कटिंग – 1198 टन /वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉय इकाईयों को विक्रय जायेगा। स्लेग को मेटल रिकव्हरी युनिट्स को उपलब्ध कराया जायेगा। मिस रोल एण्ड इण्ड कटिंग को इण्डक्शन फर्नेस में पुर्नउपयोग किया जायेगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत –** परियोजना हेतु 36 कि.ली/दिन (घरेलू उपयोग हेतु 03 कि.ली/दिन एवं अन्य हेतु 33 कि.ली/दिन) का उपयोग किया जावेगा। जल की आपूर्ति बोर वेल से किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण –** घरेलू दूषित जल की मात्रा 02 घनमीटर/दिन होगी, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट बनाई जावेगी। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को पुर्नउपयोग किया जावेगा। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन –** उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का

प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था –** रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 05 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 03 मीटर एवं गहराई 10 मीटर) निर्मित किया जावेगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता 15,468 घनमीटर होगी।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी –** उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार यह एक नवीन परियोजना है। अतः प्रस्तावित फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.303 टन/वर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जावेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। इकाई से मिस कास्ट, मिल स्केल एवं स्लेग 10936 टन/वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जावेगा।

12. **विद्युत खपत –** परियोजना हेतु 10 मेगावॉट विद्युत खपत होना प्रस्तावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जावेगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया कि हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल का 0.73 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/12/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया हैः–

> ''उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''

समिति द्वारा 249वीं बैठक में विचार – समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पूर्व में प्रस्तुत अभिमत क्षमता विस्तार क्रियाकलाप के संबंध में लिया गया था, परन्तु यह एक नवीन परियोजना है। अतः उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाये।

3. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/07/2018 द्वारा आवेदित प्रकरण को वापस लेने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को वापस लेने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर (527)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 17775/ 2016, दिनांक 16/11/2016 के द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में टीओआर हेतु दिनांक 17/04/2015 को आयरन ओर उत्पादन क्षमता – 01 मिलियन टन / वर्ष के टीओआर बाबत् कुल एरिया 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 4.5 करोड़ है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2594 दिनांक 09/09/2015 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/11/2016 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 64 दिनांक 17/04/2017 द्वारा लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने पत्र दिनांक 21/04/2017 के माध्यम से 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया था।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 338 दिनांक 11/07/2017 द्वारा कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन की स्थापना करने हेतु पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया था।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/07/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में पुनः संशोधन हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी/ पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक के पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति में पुनःसंशोधन करते हुए संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु निम्न प्रस्ताव सहित अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया हैः–

Items	Existing	Proposed
Crusher	1 Nos 150 TPH	3 Nos 150 TPH with inbuilt screen
Double Decker Screen	1 Nos 250 TPH	2 Nos 250 TPH Double decker screen
The working of the same in one shift basis will be as follows:-		
Capacity of Crusher X No. of Crusher X working days X efficiency		150 TPH X 3 X 8 Hrs X 300 days X 0.9 = 1.00 MTPA 250 TPH (Screen) X 2 X 8 Hrs X 300 days X 85% = 1.00 MTPA

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार परिवेशीय वायु में ग्राउण्ड लेवल कंसनट्रेशन की मात्रा एवं प्रस्तावित क्रशर की स्थापना से परिवेशीय वायु में ग्राउण्ड लेवल कंसनट्रेशन की मात्रा में होने वाले वृद्धि की गणना एवं प्रभाव क्षेत्र सहित जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. 10 कि.मी. की परिधि में विंड वर्ड, ली वर्ड एवं क्रास विंड डायरेक्शन में अद्यतन परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन प्रतिवेदन स्थल की स्थिति नक्शा में दर्शाकर प्रस्तुत की जाये।
3. स्थापित एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों तथा वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. मेसर्स रामा पावर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बोरझरा, तहसील व जिला–रायपुर (2002)

आवेदन प्राप्ति – पूर्व में दिनांक 06/04/2015 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नं. 344/1, प्लाट नं. 101, कुल क्षेत्रफल 8.48 एकड़, ग्राम–बोरझरा, तहसील व जिला–रायपुर में इण्डक्शन फर्नेस–15000 टन/वर्ष से 1,30,000 टन/वर्ष (प्रस्तावित विस्तार 1,15,000 टन/वर्ष) एवं रोलिंग मिल–15000 टन/वर्ष से 1,20,000 टन/वर्ष (प्रस्तावित विस्तार 1,05,000 टन/वर्ष) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2939 दिनांक 03/10/2015 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी के होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया था।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2018 के माध्यम से जारी टीओआर में संशोधन करते हुए ईआईए तैयार करने से छूट प्रदान (Exemption from EIA) करने हेतु अनुरोध पत्र किया गया है, जिसके अनुसार क्षमता में संशोधन का निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

S.No.	Facility	Yearly Production Capacity	
		Capacity as per TOR granted	Revised capacity for this Amendment in TOR application has been submitted
1.	Induction Furnace	1,30,000 TPA	Nil
2.	Re-Rolling Mill	1,20,000 TPA	1,20,000 TPA

तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/08/2018 द्वारा पुनः इण्डक्शन फर्नेस को स्थापित (Drop of proposal for setting up Induction Furnace) नहीं करते हुए केवल री–रोलिंग मिल (Standalone Rerolling Mill) में कार्य किये जाने से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी/ पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की मांग/आवेदन करने पर एस.ई.ए.सी./एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा टीओआर जारी किया गया है। जारी टीओआर में निर्धारित बिन्दुओं / शर्तों के आधार पर ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के उपरांत लोक सुनवाई संपन्न कराकर नियमानुसार लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों / आपत्ति / सुझावों आदि

का समावेश कर फाईनल ईआईए रिपोर्ट तैयार कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। उद्योग द्वारा उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है तथा नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार आवेदन / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा। वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

ऐजेन्डा आईटम नं.–4: श्री रमेश अग्रवाल द्वारा इण्डस्ट्रीयल एरिया में स्थापित / प्रस्तावित उद्योगों को बी–2 कैटेगरी के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी बाबत् शिकायत के संबंध में।

श्री रमेश अग्रवाल सदस्य, जनचेतना, सत्यम कुंज, नया गंज रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र दिनांक 09/08/2018, (प्राप्ति दिनांक 14/08/2018) का अवलोकन किया गया। शिकायत में मेसर्स ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क पूंजीपथरा, इण्डस्ट्रीयल एरिया रायपुर, इण्डस्ट्रीयल एरिया बिलासपुर एवं इण्डस्ट्रीयल एरिया दुर्ग में स्थित/प्रस्तावित निम्न सरल क्रमांक 01 से 16 तक उल्लेखित उद्योगों को बी–2 केटेगरी के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने बाबत् शिकायत की गई है कि उक्त सभी उद्योग अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित / प्रस्तावित नहीं हैं, अतः इन उद्योगों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किया जावे।

S.No.	EC Letter No.	Name of Industry	Particulars
1.	201/SEIAA-CG/EC/IF/ RGH/270/11 dated 20.11.2012	M/s R.S.Ispat Ltd. Plot No. 162, 164 & 166 Sector-G, Jindal Industrial Park, Punjipathra, Raigarh	Expansion from 48,000 to 1,20,000 tons/annum MS Ingots
2.	143/SEIAA,CG/Roling/ RAIGARH/533 dated 02.05.2017	M/s Shri Nirmalanand Steels Casting Pvt. Ltd. Plot No. 176 Sector-H, O.P. Jindal Industrial Park, Punjipathra, Raigarh	Expansion Rolling Mill 11,000 to 39,000 tons/annum, Coal Gasifier 3800 M^3/Hr
3.	300/SEIAA,CG/Roling/ RAIGARH/576 dated 03.08.2017	M/s NRTMT (TMT) India Pvt. Ltd. Plot No. 106, Goverdhan Tower, Chaitnay Nagar, Raigarh	Rolled Products 55,000 tons/annum MS Ingot/Bar
4.	622/SEIAA,CG/IND/ RAIGARH/59 dated 03.08.2017	M/S Maa Banjari Ispat Pvt. Ltd. Plot No. 123, O.P. Jindal Industrial Park, Punjipathra, Raigarh	MS Ingots 14,400 to 59,520 tons/annum

5.	392/SEIAA,CG/Roling /RAIGARH/614 dated 08.11.2017	M/s Ajay Ingots, Roling Mill Pvt. Ltd Plot No. 193,194,195, Sector-J, O.P. Jindal Industrial Park, Punjipathra, Raigarh	Induction Furnace 59,904 tons/annum, Roling Mill 30,000 to 58,656 tons/annum
6.	624/SEIAA,CG/IND/ RAIGARH/605 dated 08.11.2017	M/s Narmada Iron & Steel Pvt. Ltd. Plot No. 151 & 152, Sector-F, O.P. Jindal Industrial Park, Punjipathra, Raigarh	Expansion Induction Furnace capacity 33,500 to 57,500 tons/annum, Rolling Mill 56,375 tons/annum, Coal Gasifier 4400 M^3/Hr
7.	627/SEIAA,CG/IND/ RAIGARH/608 dated 08.11.2017	M/s Harsh Vinimay Pvt. Ltd. Plot No. 121 & 122, Sector-C, O.P. Jindal Industrial Park, Punjipathra, Raigarh	Expansion 36,000 to 54,000 tons/annum MS Ingots
8.	700/SEIAA/IND/ RAIGARH/636 dated 08.12.2017	M/s Maa Shiva Steel & Alloys LLP, Plot No. 196 & 198 (A) Sector-J, O.P. Jindal Industrial Park, Punjipathra, Raigarh	
9.	1318/SEIAA,CG/IND-Roling/DURG/492 dated 24.01.2017	M/s Hariom Ingots & Power Pvt. Ltd. Light Industrial Area, Tahsil-Bhilai, District-Durg	Induction Furnace & Hot Charged Rolling Mill of capatity 30,000 to 56,745 MS Ingots/ TMT Bar tons/annum
10.	NIL/SEIAA.Chhattisgarh /595 dated NIL online proposal No. SIA/CG IND/64584/2017 dated 09.05.2017	M/s Payarelal Ispat Pvt. Ltd. Sector-c, Urla Industrial Area, Raipur	MS Billets 59,900 tons/annum & Re-Rolled Steel Products 56,905 tons/annum
11.	554/SEIAA.Chhattisgarh / 597 dated 26.10.2017	M/s Iswar Ispat Industries Pvt. Ltd. Sector-c, Urla Industrial Area, Raipur	MS Billets 59,900 tons/annum & Re-Rolled Steel Products 56,905 tons/annum
12.	562/SEIAA.CG/SIA/CG /IND 594 dated 26.10.2017	M/s Ganpati Ispat Pvt. Ltd. Sector-C, Urla Industrial Area, Raipur	MS Billets 30,000 to 59,900 tons/annum & Re-Rolled Steel Products 56,905 tons/annum
13.	284/SEIAA.CG/IND/ Raipur 536 dated 12.06.2017	M/s Ispat India, Plot No. 4 & 9 Village-Siltara, Siltara Industrial Area, Phash-II, Raipur	Induction Furnace capacity from 30,000 to 59,000 tons/annum & Re-Rolling Mill capacity 30,000 to 55,000 tons/annum
14.	1335/SEIAA/CG/SIA/CG /NCP 448 dated 04.02.2017	M/s Hindustan Coils Limited, phase-I Siltara Industrial Area, Raipur	Rolled Products Induction Furnace 56,745 tons/annum

15.	550/SEIAA.CG/SIA/CG/ IND 599 dated 26.10.2017	M/s Shri Hanuman Loha Limited (Unit-II) Urla Industrial Area, Raipur	MS Billets capacity 59,500 tons/annum & Re-Rolled Steel Products 56,525 tons/annum
16.	595/SEIAA.CG/Rolling/ Bilaspur/ 624 dated 28.10.2017	M/s Maa Mahamaya Steels Pvt. Ltd. Plot No. 52 & 53, Sector-B Sirgitti Industrial Area, Bilaspur	Re-Rolled Steel Products 25,000 to 49,500 tons/annum

समिति द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त शिकायत पत्र के संबंध में एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर से उपरोक्त सरल क्रमांक 01 से 16 तक उल्लेखित उद्योगों के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित/प्रस्तावित होने अथवा नहीं होने बाबत् तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित करने की अनुशंसा की गई।

प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर को तदानुसार अनुरोध पत्र भेजा जावे।

ऐजेन्डा आईटम नं.–5: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. मेसर्स एच.एस.आर. री–रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उरला, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर (662)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 72068/ 2018, दिनांक 04/01/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् प्लॉट नं. 194 से 199, 255 से 236 एवं 238, कुल एरिया 4.64 एकड़, ग्राम–उरला, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर, स्थापित रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन/वर्ष से 56,860 टन/वर्ष (पलव्राईज्ड कोल फायर्ड रोलिंग मिल क्षमता–2,000 टन/वर्ष, इंडक्शन फर्नेस एवं हॉट चार्जड रोलिंग मिल क्षमता–54,860 टन/वर्ष) एवं इंडक्शन फर्नेसेस (02 गुणा 10 टन) क्षमता–57,600 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 11.89 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/01/2017 के द्वारा निम्न जानकारियॉ / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गयाः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।

2. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं ? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।

5. ग्राउण्ड वॉटर रिर्चाजिंग हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टींग की व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 245वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री निशांत खेतान, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से री–रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता 30,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 10/02/2017 को जारी की गई है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ शहर बीरगांव 680 मीटर एवं रायपुर 2.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन उरकुरा 3.4 कि.मी. एवं रायपुर 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 4.4 कि.मी. की दूरी पर है।

- 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** शेड का क्षेत्रफल 0.37 हेक्टेयर, रोड/पेव्ड का क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.66 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 1.877 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

6. **रॉ–मटेरियल –** इंडक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन–51,200 टन/वर्ष, पिग ऑयरन/स्क्रैप–15,360 टन/वर्ष एवं फेरो एलॉयज–640 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। पलव्राईज्ड कोल फायर्ड रोलिंग मिल क्षमता–2,000 टन/वर्ष में रॉ–मटेरियल के रूप में स्टील इंगाट्स/बिलेट्स–2,100 टन/वर्ष एवं कोल – 200 टन/वर्ष का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् इंडक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल क्षमता–54,860 टन/वर्ष में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट इंगाट्स/बिलेट्स–57,600 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। इंडक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जावेगा।

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

- वर्तमान में 03 रोलिंग मिल द्वारा कुल क्षमता 30,000 टन / वर्ष से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में 03 रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है। जिसके अंतर्गत 24,000 टन/वर्ष क्षमता की रोलिंग मिल कोल गैसीफॉयर (क्षमता 1,500 सामान्य घनमीटर/घंटा) आधारित, 4,000 टन/वर्ष क्षमता की रोलिंग मिल एवं 2,000 टन/वर्ष क्षमता की रोलिंग मिल पलव्राईज्ड कोल फायर्ड पर आधारित है। 24,000 टन/वर्ष एवं 4,000 टन/वर्ष क्षमता की रोलिंग मिल को हॉट चार्जड सिस्टम में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। कोल गैसीफॉयर एवं 4,000 टन/वर्ष क्षमता की रोलिंग मिल में स्थापित री–हीटिंग फर्नेस को डिसमेंटल किया जाना प्रस्तावित है।

- क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् 02 रोलिंग मिल को हॉट चार्जड सिस्टम आधारित रोलिंग मिल में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रोलिंग मिल में वर्तमान की तुलना में 5,345 टन / वर्ष कोल के उपयोग में कमी होगी। पलव्राईज्ड कोल फायर्ड आधारित रोलिंग मिल क्षमता 2,000 टन / वर्ष को यथावत् रखा जावेगा।

- क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् इंडक्शन फर्नेसेस (02 गुणा 10 टन) क्षमता– 57,600 टन/वर्ष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इंडक्शन फर्नेसेस से प्राप्त 57,600 टन/वर्ष हॉट मेटल को हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल में उपयोग कर, 54,860 टन/वर्ष री–रोल्ड प्रोडक्ट्स एवं वर्तमान में स्थापित पलव्राईज्ड कोल फायर्ड आधारित रोलिंग मिल क्षमता 2,000 टन / वर्ष के माध्यम से कुल री–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता 56,860 टन / वर्ष का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पलव्राईज्ड कोल फायर्ड रोलिंग मिल क्षमता–2,000 टन/वर्ष में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु वर्तमान में साइक्लोन एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि नहीं किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् भी अपनाई जावेगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस/रोलिंग मिल से मिल स्केल – 2.5 टन/दिन, स्लेग – 20 टन/दिन एवं मिस रोल एण्ड इण्ड कटिंग – 6.6 टन/दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉय इकाईयों को विक्रय किया जायेगा। स्लेग को समीपस्थ स्लेग क्रशिंग युनिट्स को उपलब्ध कराया जावेगा। एण्ड कटिंग को पुनः इंडक्शन फर्नेस में उपयोग किया जायेगा। हॉट चार्जिंग प्रोसेस में परिवर्तन के पश्चात् सिंडर उत्पन्न नहीं होगा। अपितु पलव्राईज्ड कोल फायर्ड रोलिंग मिल क्षमता–2,000 टन/वर्ष से कोल ऐश 0.30 टन/दिन उत्पन्न होगा। जिसे समीपस्थ ब्रिक्स प्लांट्स को विक्रय किया जावेगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – स्थापित परियोजना हेतु 15 घनमीटर/दिन (घरेलू उपयोग हेतु 02 घनमीटर/दिन एवं अन्य उपयोग हेतु 13 घनमीटर/दिन) जल की खपत होती है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 38 घनमीटर /दिन (घरेलू उपयोग हेतु 05 घनमीटर/दिन एवं अन्य हेतु 33 घनमीटर/दिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जावेगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन –** उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था –** रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 04 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 04 मीटर एवं गहराई 03 मीटर) निर्मित किया जावेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये जावेगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता 10,541 घनमीटर होगी।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी –** सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 0.5875 कि.ग्रा/घंटा है। प्रस्तावित सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 0.348 कि.ग्रा/घंटा होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जावेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में इकाई से कुल 14.2 टन/दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् कुल 29.1 टन/ दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जावेगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार के पश्चात् (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि, (3) रोलिंग मिल में वर्तमान की तुलना में 5,345 टन / वर्ष कोल के उपयोग में कमी तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है, इसकी प्रतिपूर्ति के रुप में प्रस्तावित रेन वॉटर रिर्चाजिंग व्यवस्था से जल उपभोग की मात्रा से अधिक जल का भू–संचयन (स्थल में एकत्र होने वाले वर्षा जल का हॉर्वेस्टिंग) किया जावेगा।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु आवश्यक विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जावेगी।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया कि वर्तमान में 600 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल का 0.607 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में वृक्षारोपण मार्च 2018 तक किया किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 31/01/2018 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:–

> ''उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 249वीं बैठक दिनांक 19/07/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।
3. प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्षमता जल उपभोग की मात्रा से कम है। इसकी क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/08/2018 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 251वीं बैठक दिनांक 28/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि अपरिहार्य कारण से दिनांक 28/08/2018 को उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाये एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि (30/08/2018 या 31/08/2018) के संबंध में पत्र दिनांक 28/08/2018 द्वारा अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पत्र को मान्य कर आगामी बैठक दिनांक 31/08/2018 को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण बाबत् अवसर दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Additional Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 1000	1%	Rs. 10.00	It is proposed to implement following facilities in Adwani Willington School, Birgaon & Govt High school, Urla:-	Rs. 10.00

			i. Rain Water Harvesting structure of suitable capacity. ii. RO water purifier installation for drinking water. iii. Implementation & maintenance of sanitation facilities. iv. Environment awareness program. v. Providing the separate dust bins.	
			Total	**Rs. 10.00**

2. उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इस आधार पर वार्षिक उपयोग 12,160 घनमीटर का 50 प्रतिशत 6,080 घनमीटर/वर्ष आधारित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु 04 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 04 मीटर एवं गहराई 03 मीटर) का निर्माण किया जायेगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता–10,541 घनमीटर होगी। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग गणना अनुसार उद्योग स्थल के क्षमता अनुसार लगभग समस्त रेन वाटर का हार्वेस्टिंग किया जावेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

5. स्थल औद्योगिक क्षेत्र उरला में स्थित है एवं आसपास कई उद्योग स्थापित एवं संचालित है।

6. क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् इंडक्शन फर्नेसेस (02 गुणा 10 टन) क्षमता– 57,600 टन/वर्ष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इंडक्शन फर्नेसेस से प्राप्त 57,600 टन/वर्ष हॉट मेटल को हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल में उपयोग कर, 54,860 टन/वर्ष री–रोल्ड प्रोडक्ट्स एवं वर्तमान में स्थापित पलव्राईज्ड कोल फायर्ड आधारित रोलिंग मिल क्षमता 2,000 टन / वर्ष के माध्यम से कुल री–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता 56,860 टन / वर्ष का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

7. क्षमता विस्तार से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी तथा जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होने से पर्यावरणीय घटकों पर विपरित प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है।

8. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा इकाई की स्थापना से प्रदूषण में प्रभावी वृद्धि की संभावना नहीं बताई गई है।

9. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किये जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किये गये हैं:–

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

10. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

अतः उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 09 एवं 10 के अनुरूप, उद्योग स्थल औद्योगिक क्षेत्र में होने के आधार पर ''बी2'' श्रेणी के अंतर्गत मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि क्षमता विस्तार हेतु इन्व्हायरोन्मेट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तथा लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्षमता विस्तार एवं Backward Integration के तहत् प्लॉट नं. 194 से 199, 255 से 236 एवं 238, कुल एरिया 4.64 एकड़, ग्राम–उरला, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर, स्थापित रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन/वर्ष से 56,860 टन/वर्ष (पलव्राईज्ड कोल फायर्ड रोलिंग मिल क्षमता–2,000 टन/वर्ष एवं हॉट चार्जड रोलिंग मिल क्षमता–54,860 टन/वर्ष) एवं इंडक्शन फर्नेसेस (02 गुणा 10 टन) क्षमता– 57,600 टन/वर्ष हेतु **संलग्न–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स भगवती पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, यूनिट–II, ग्राम–सिलतरा, नियर फेज–II, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (640)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 70057/ 2017, दिनांक 02/10/2017।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नं. 86/1, 86/2 एवं 97(पी), कुल एरिया 6.56 एकड़, ग्राम–सिलतरा, नियर फेज–II, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर में रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल रुट) – 30,000 टन/वर्ष से 57,670 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 1368.99 लाख होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 238वीं बैठक दिनांक 13/10/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाये।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
4. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
6. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
7. ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाये।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/11/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 240वीं बैठक दिनांक 24/11/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री राजकुमार केजरीवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक

13/11/2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर का अभिमत अप्राप्त है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से री–रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता 30,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 30/07/2016 को जारी की गई है।

3. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

5. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–सिलतरा 1.4 कि.मी. एवं रायपुर शहर 9.5 कि.मी. की दूरी पर है। समीपस्थ रेल्वे स्टेशन मांडर 6.25 कि.मी. तथा रायपुर एयरपोर्ट 23.5 कि.मी. की दूरी पर है। छोकरा नाला 2.8 कि.मी एवं खारून नदी 3.4 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी 0.75 कि.मी. है।

   - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

6. **रॉ–मटेरियल –** क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेसेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 160 टन/दिन, पिग ऑयरन/स्क्रैप – 48 टन/दिन एवं फेरो एलॉयज – 02 टन/दिन का उपयोग किया जावेगा। रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट मेटल – 180 टन/दिन का उपयोग कर रोल्ड प्रोडक्स का उत्पादन किया जावेगा। रॉ–मटेरियल्स को परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जावेगा।

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –** वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस (01 गुणा 10 टन) विथ सी.सी.एम. एवं रोलिंग मिल (02 स्ट्रैण्ड) स्थापित एवं संचालित है। क्षमता विस्तार के तहत् अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेस (01 गुणा 10 टन) विथ सी.सी.एम. एवं रोलिंग मिल (02 स्ट्रैण्ड) की स्थापना की जावेगी।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् स्थापित बेग फिल्टर का उन्नयन किया जाकर चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना प्रस्तावित नहीं की गई है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि नहीं किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल – 1.04 टन / दिन, स्लेग – 20 टन / दिन एवं एण्ड कटिंग – 4.20 टन/ दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को पेलेट्स प्लांट एवं

कास्टिंग इकाईयों को विक्रय जायेगा। स्लेग को मेटल स्लेग क्रशिंग युनिट्स को उपलब्ध कराया जावेगा। एण्ड कटिंग को पुनः इंडक्शन फर्नेस में उपयोग किया जायेगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – स्थापित परियोजना हेतु 38 कि.ली./दिन जल की खपत होती है। क्षमता विस्तार हेतु 27 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल 65 कि.ली./दिन जल की खपत होगी। वर्तमान में जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जावेगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल (04 कि.ली./दिन) के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन –** उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अनुमति हेतु आवेदन किया जावेगा।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था –** रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 05 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 04 मीटर एवं गहराई 03 मीटर) मानसून 2018 से पूर्व निर्मित किया जावेगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता 19,051 घनमीटर होगी।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी –** सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 0.425 कि.ग्रा. /घंटा होगी। प्रस्तावित सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 0.425 कि.ग्रा. /घंटा होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जावेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी

जावेगी। वर्तमान में इकाई से स्लेग 10 टन / दिन एवं मिल स्केल – 0.52 टन / दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। क्षमता विस्तार के पश्चात् स्लेग 20 टन / दिन एवं मिल स्केल – 1.04 टन / दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जावेगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा यथावत, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 06 मेगॉवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति स्वयं के युनिट–I से की जावेगी।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी –** परियोजना प्रस्ताक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया कि पूर्व में 500 नग पौधे रोपित किये गये थे। एक माह की अवधि में 2.57 हेक्टेयर क्षेत्र में 2,000 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/11/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया हैः–

> ''उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 250वीं बैठक दिनांक 20/07/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी/ अभिमत का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. समिति के 240वीं बैठक दिनांक 24/11/2017 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक माह की अवधि में 2.57 हेक्टेयर क्षेत्र में 2,000 नग पौधे रोपित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इस संबंध में वर्तमान स्थिति फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाये।

2. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।

3. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

4. स्थापित सभी कार्यकलाप से वर्तमान में प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले कुल पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा एवं प्रस्तावित कार्यकलापों को शामिल करते हुये

प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले कुल पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा की गणना सहित इसमें कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

5. प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्षमता जल उपभोग की मात्रा से कम है। इसकी क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/08/2018 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 251वीं बैठक दिनांक 28/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि अपरिहार्य कारण से दिनांक 28/08/2018 को उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाये एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि (30/08/2018 या 31/08/2018) के संबंध में पत्र दिनांक 28/08/2018 द्वारा अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पत्र को मान्य कर, आगामी बैठक दिनांक 31/08/2018 को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण बाबत् अवसर दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. समिति के 240वीं बैठक दिनांक 24/11/2017 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक माह की अवधि में 2.57 हेक्टेयर क्षेत्र में 2,000 नग पौधे रोपित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ्स एवं पूर्ण होने की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. प्रदूषण भार कम करते हुए पुनः गणना कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 2,244 कि.ग्रा./वर्ष है। प्रस्तावित सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 20 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1795.2 कि.ग्रा./वर्ष होगी। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना संभावित है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Additional Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 450	1%	Rs. 4.5	It is proposed to implement following facilities in Govt	Rs. 4.50

			Primary school, Siltara:- i. Rain Water Harvesting structure of suitable capacity. ii. RO water purifier installation for drinking water. iii. Up-gradation & maintenance of sanitation facilities. iv. Environment Education awareness.	
			Total	**Rs. 4.50**

4. उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इस आधार पर वार्षिक उपयोग 21,450 घनमीटर का 50 प्रतिशत 10,725 घनमीटर/वर्ष आधारित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु 05 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 04 मीटर एवं गहराई 03 मीटर) का निर्माण किया जायेगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता–19,051 घनमीटर होगी। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग गणना अनुसार उद्योग स्थल के क्षमता अनुसार लगभग समस्त रेन वाटर का हार्वेस्टिंग किया जावेगा।

5. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

7. स्थल औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में स्थित है एवं आसपास कई उद्योग स्थापित एवं संचालित है।

8. वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस (01 गुणा 10 टन) विथ सी.सी.एम. एवं रोलिंग मिल (02 स्ट्रैण्ड) स्थापित एवं संचालित है। क्षमता विस्तार के तहत् अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेस (01 गुणा 10 टन) विथ सी.सी.एम. एवं रोलिंग मिल (02 स्ट्रैण्ड) की स्थापना की जावेगी। वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् उद्योग में कोयला / फर्नेस ऑयल या अन्य किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का उपयोग प्रस्तावित नहीं है।

9. क्षमता विस्तार से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी तथा जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होने से पर्यावरणीय घटकों पर विपरित प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है।

10. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा इकाई की स्थापना से प्रदूषण में प्रभावी वृद्धि की संभावना नहीं बताई गई है।

11. क्षमता विस्तार प्रकरण ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) प्रावधानों के अनुसार ''बी1'' श्रेणी के अंतर्गत आता है। नोटिफिकेशन के पैरा 7(ii) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण को श्रेणी ''बी1'' के अंतर्गत मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि क्षमता विस्तार हेतु इन्व्हायरोन्मेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तथा लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर खसरा नं. 86/1, 86/2 एवं 97(पी), कुल एरिया 6.56 एकड़, ग्राम–सिलतरा, नियर फेज–**II,** सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर में रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल रुट) – 30,000 टन/वर्ष से 57,670 टन/वर्ष हेतु **संलग्न–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, युनिट–II, ग्राम–सिलतरा, समीपस्थ फेज–2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (603)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 19496/ 2012, दिनांक 31/05/2017।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/8 एवं 114/9, कुल एरिया 8.0 एकड़, युनिट–II, ग्राम–सिलतरा, समीपस्थ फेज–2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर में स्टील मेल्टिंग शॉप क्षमता – 28,800 टन / वर्ष से 1,68,000 टन/वर्ष (क्षमता विस्तार उपरांत), न्यू रोलिंग मिल क्षमता– 1,68,000 टन/वर्ष एवं कोल गैसीफायर क्षमता– 11,000 सामान्य घनमीटर/ घण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना का विनियोग रुपये 48.75 करोड़ प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 642 दिनांक 16/06/2014 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी–1 केटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई के बिना) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 31/05/2017 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त की जाये।

2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।

3. वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित। क्षमता विस्तार के तहत् न्यू रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा तत्समय यह भी निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु एवं परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 22/07/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 231वीं बैठक दिनांक 25/07/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री राजेश गौर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री माहेश्वर रेड्डी उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से इण्डक्शन फर्नेस द्वारा इंगाट्स/बिलेट्स 28,800 टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है, जो दिनांक 30/09/2018 तक की अवधि हेतु वैध है।
- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी सिलतरा 1.6 कि.मी. की दूरी में स्थित है। रेल्वे स्टेशन मांढर 7.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 2.8 कि.मी. एवं छोकरा नाला 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** प्रस्तावित बिल्टअप क्षेत्रफल 1.0 एकड़, वर्तमान बिल्टअप क्षेत्रफल 1.5 एकड़, आंतरिक सड़क का क्षेत्रफल 0.6 एकड़, स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.5 एकड़, खुला क्षेत्रफल 1.6 एकड़ तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.8 एकड़ होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 8.0 एकड है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। पूर्व में 2,000 नग पौधे रोपित किये गये थे, जिसमें से वर्तमान में 1,600 नग पौधे जीवित है तथा 1,000 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

4. **रॉ–मटेरियल –** इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 1,51,200 टन/वर्ष, स्क्रैप – 42,000 टन/ वर्ष एवं फेरो एलॉयज – 5,040 टन/ वर्ष का उपयोग किया जावेगा। रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में इंगाट्स / बिलेट्स – 1,76,400 टन/वर्ष का उपयोग कर रोल्ड प्रोडक्स का उत्पादन किया जावेगा। गैसीफायर में रॉ–मटेरियल के रूप में कोल – 26,880 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस में प्राइमरी फ्युल के रुप में प्रोड्युसर गैस एवं सेकण्डरी/ऑक्सिलरी फ्युल के रुप में फर्नेस ऑयल 1250 लीटर/घंटा का उपयोग किया जायेगा। रॉ–मटेरियल्स को परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जावेगा।

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –** वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस (1 गुणा 10 टन) स्थापित एवं कार्यरत है। क्षमता विस्तार के तहत् अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेसेस (2 गुणा 10 टन एवं 2 गुणा 15 टन) की स्थापना की जावेगी। साथ ही रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस 60 टन/घंटा की क्षमता के साथ 500 टन/दिन क्षमता का रोलिंग मिल स्थापित की जावेगी।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी। रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु 57 मीटर ऊंचाई की चिमनी प्रस्तावित है। गैसीफॉयर के कोल हैंडलिंग प्लांट में प्रदुषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि नहीं किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल – 5 टन / दिन, स्लेग – 50 टन / दिन, एण्ड कटिंग – 20 टन / दिन, सिण्डर – 36 टन / दिन एवं टार 0.16 टन / दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉयज निर्माण इकाईयों को विक्रय जायेगा। स्लेग को मेटल रिकवरी युनिट्स को उपलब्ध कराया जावेगा। एण्ड कटिंग को पुनः इंडक्शन फर्नेस में उपयोग एवं री–रोलर इकाईयों में उपयोग हेतु विक्रय किया जायेगा। सिण्डर का उपयोग भू–भरण एवं ईट निर्माण इकाईयों को दिया जावेगा। टार को टार रिसाइक्लर एवं सड़क निर्माण इकाईयों को दिया जावेगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

   - **जल खपत एवं स्त्रोत –** परियोजना हेतु 140 कि.ली./दिन (घरेलु उपयोग हेतु 05 कि.ली./दिन, प्रोसेस हेतु 25 कि.ली./दिन एवं कुलिंग हेतु 110 कि. ली./दिन) जल की आवश्यकता है। जल की आपूर्ति ईस्पात भूमि लिमिटेड

के माध्यम से की जावेगी। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जावेगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – घरेलु दूषित जल की मात्रा 04 कि.ली./दिन होगी, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुर्नउपयोग किया जावेगा। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – क्षमता विस्तार उपरांत 8.5 मेगावॉट (इण्डक्शन फर्नेस हेतु 7.0 मेगावॉट, रोलिंग मिल एवं गैसीफॉयर हेतु 1.5 मेगावॉट) विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. क्षमता का डी. जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

10. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –**

- मॉनिटरिंग कार्य दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 02 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 08 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 17.9 से 49.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 31.5 से 88.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 7.2 से 29.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 7.4 से 39.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर 43.37 डीबीए से 65.16 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि इस क्षेत्र में दो अन्य उद्योगों मेसर्स आर.आर. इस्पात (ए यूनिट ऑफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड), उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला–रायपुर एवं मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम – गोंदवारा, जिला–रायपुर के क्षमता विस्तार के प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। इन दोनों प्रकरणों में ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने के दौरान किये गये मॉनिटरिंग के अनुसार परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की मात्रा इस क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक से एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा समय समय पर इस क्षेत्र की, की गई मॉनिटरिंग परिणामों से काफी कम पाया जाना बताया गया है, जबकि सिवियरली पॉलुटेड एरिया (Severely Polluted Area) क्षेत्र होने के कारण यह संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त दोनों प्रकरणों में समिति द्वारा पूर्व में मॉनिटरिंग किये गये स्थलों पर परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की एक माह की अवधि का गुणवत्ता मापन रिपोर्ट मानसून को छोड़कर अन्य मौसम का (Non Monsoon Season) प्रस्तुत करने एवं मॉनिटरिंग प्रारंभ करने से पूर्व मॉनिटंरिग प्लान एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 236वीं बैठक दिनांक 09/09/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि विचाराधीन प्रकरण में भी ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने के दौरान किये गये मॉनिटरिंग के अनुसार परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की मात्रा इस क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक से एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा समय समय पर इस क्षेत्र की, की गई मॉनिटरिंग परिणामों से काफी कम पाया जाना बताया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि विचाराधीन प्रकरण में भी पूर्व में मॉनिटरिंग किये गये स्थलों पर परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की एक माह की अवधि का गुणवत्ता मापन रिपोर्ट मानसून को छोड़कर अन्य मौसम का (Non Monsoon Season) प्रस्तुत की जाये एवं मॉनिटरिंग प्रारंभ करने से पूर्व मॉनिटरिंग प्लान एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/10/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 25/11/2017 को प्रस्तुत किया गया है। मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार (एक माह की अवधि माह अक्टूबर 2017 से नवम्बर 2017 तक का गुणवत्ता मापन रिपोर्ट मानसून को छोड़कर अन्य मौसम का (Non Monsoon Season)) पी.एम.$_{2.5}$ 42.7 से 57.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 71.2 से 96.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.9 से 30.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 8.9 से 41.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यकलाप से परिवेशीय वायु में पीएम 3.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 4.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं एनओ$_{एक्स}$ 16.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि (इंक्रिमेंटल ग्राउण्ड लेवल कन्संट्रेशन) संभावित है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 22/07/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 13/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया हैः–

> ''उद्योग द्वारा न्यु रोलिंग मिल में ईंधन के रुप में कोल गैसीफॉयर से उत्पन्न प्रोड्युसर गैस का उपयोग किये जाने एवं विषयांकित स्टील मेल्टिंग शॉप में विद्युत का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है। उद्योग के द्वारा प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने से उक्त इकाई की स्थापना से डस्ट पार्टिकल की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।''

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 250वीं बैठक दिनांक 20/07/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पाल्युटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण उद्योग से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलिग्राम/ सामान्य घनमीटर से कम करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, ताकि उद्योग से उत्पन्न होने वाला कुल उत्सर्जन वर्तमान की तुलना में कम हो।
2. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाये।

4. उद्योग द्वारा 31,329 घनमीटर/वर्ष रेन वाटर को विभिन्न विधि से हार्वेस्टिंग किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की क्षमता कुल जल उपभोग की मात्रा से काफी कम है। अतः रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

5. स्थापित सभी कार्यकलाप से वर्तमान में प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले कुल पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा एवं प्रस्तावित कार्यकलापों को शामिल करते हुये प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले कुल पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा की गणना सहित इसमें कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/08/2018 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 251वीं बैठक दिनांक 28/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपरिहार्य कारण से दिनांक 28/08/2018 को उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाये एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि (30/08/2018 या 31/08/2018) के संबंध में पत्र दिनांक 28/08/2018 द्वारा अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पत्र को मान्य कर, आगामी बैठक दिनांक 31/08/2018 को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण बाबत् अवसर दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Additional Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 4875	1%	Rs. 48.75	It is proposed to implement following facilities in Govt Middle school, Sankara, Shyamacharan Shukla Degree College, Dharsiwa, Navin Prathmik Shala,	Rs. 38.75

			Siltara & Govt Middle and Higher Secondary School, Siltara:- i. Solar Panels & lightening system. ii. Rain Water Harvesting structure of suitable capacity. iii. RO water purifier installation for drinking water. iv. Up-gradation & maintenance of sanitation facilities. v. Environment Education awareness Program. vi. Segregated garbage collection system in education building.	
			Green belt plantation at Naya Raipur in co-ordination with NRDA	10.00
			Total	**Rs. 48.75**

2. उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इस आधार पर वार्षिक उपयोग 46,200 घनमीटर का 50 प्रतिशत 23,100 घनमीटर/वर्ष किया जाना आवश्यक है। उद्योग द्वारा 31,329 घनमीटर/वर्ष रेन वाटर को विभिन्न विधि से हार्वेस्टिंग किया जाना प्रस्तावित कर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु 01 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 01 मीटर एवं गहराई 03 मीटर) का निर्माण किया जायेगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता–16,010 घनमीटर होगी। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग गणना अनुसार उद्योग स्थल के क्षमता अनुसार लगभग समस्त रेन वाटर का हार्वेस्टिंग किया जावेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. प्रदूषण भार कम करते हुए पुनः गणना कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जानकारी अनुसार प्रदूषणभार की गणना में वर्तमान में कार्यरत इण्डक्शन फर्नेस से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 0.45 कि.ग्रा./घंटा बताई गई है। वर्तमान प्रदूषणभार के अंतर्गत प्रस्तावित कियाकलापों अर्थात इण्डक्शन फर्नेसेस (2 गुणा 10 टन एवं 2 गुणा 15 टन) से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर डस्ट उत्सर्जन 0.45 कि.ग्रा./घंटा + 0.525 कि.ग्रा./घंटा तथा रोलिंग मिल क्षमता 500 टन/दिन से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50

मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर डस्ट उत्सर्जन 0.55 कि.ग्रा./घंटा अर्थात कुल डस्ट उत्सर्जन 1.975 कि.ग्रा./घंटा बताई गई है।

वर्तमान में कार्यरत इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 20 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 0.18 कि.ग्रा./घंटा होगी। साथ ही प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यकलापों अर्थात इण्डक्शन फर्नेसेस (2 गुणा 10 टन एवं 2 गुणा 15 टन) से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 20 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर डस्ट उत्सर्जन 0.18 कि.ग्रा./घंटा + 0.21 कि.ग्रा./घंटा तथा रोलिंग मिल क्षमता 500 टन/दिन से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर डस्ट उत्सर्जन 0.33 कि.ग्रा./घंटा अर्थात कुल डस्ट उत्सर्जन 0.90 कि.ग्रा./घंटा बताई गई है।

उपरोक्त गणना में वर्तमान में जो कार्यकलाप प्रस्तावित हैं, उनसे प्रस्तावित उत्सर्जन को वर्तमान प्रदूषणभार में सम्मलित किया जाना उचित नहीं है। वर्तमान प्रदूषणभार की मात्रा की गणना केवल कार्यरत इण्डक्शन फर्नेस के आधार पर ही की जानी चाहिये।

5. परियोजना प्रस्तावक को जारी टीओआर में स्थापित इकाई में आर्क फर्नेस का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में प्रदूषणभार की गणना में स्थापित इकाई इण्डक्शन फर्नेस बताया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत जानकारी में भिन्नता है।

   समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक से पुनः वर्तमान प्रदूषणभार एवं प्रस्तावित कियाकलापों सहित प्रस्तावित कुल प्रदूषणभार की विस्तृत गणना सहित जानकारी एवं वर्तमान स्थापित इकाई बाबत् स्पष्ट जानकारी मंगाई जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सेमरदर्री, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर (667)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन/ 72154/2018, दिनांक 10/01/2018।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) है। प्रस्तावित खदान खसरा नम्बर 1214/2, 1215, 1238/1, 1239/2'क', 1239/2'ख', 1239/2'ग', 1239/3, 1239/1, 1239/3'ख', 1239/3'ग', 1239/3'ध', 1239/4, 1239/5, 1239/8, 1240, 1241/1'ग', 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1244/1, 1244/2,3,4, 1245, 1246, 1237/4, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1254, 1272/2, 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1273/4, 1273/5, 1273/6, 1273/7, 1273/8 एवं 1276/2 ग्राम–सेमरदर्री, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 13.995 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 57,250.8 टन / वर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एल.ओ.आई. / लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाये।

2. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/07/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 248वीं बैठक दिनांक 18/07/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वेंकटेश्वर खेड़िया, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. ग्राम पंचायत सेमरदर्री का दिनांक 13/09/2010 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. क्वॉरी प्लान एलॉगविथ क्वारी क्लोजर प्लान (Quarry Plan alongwith quarry closure plan) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर के पत्र क्रमांक 124, दिनांक 05/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1403 दिनांक 05/12/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक हैं।
4. वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमंडल पेण्ड्रारोड के पत्र क्रमांक 3099, दिनांक 02/11/2010 को जारी प्रतिवेदन अनुसार ''आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है, और न ही इसे किसी कार्य हेतु आरक्षित रखा गया है।'' उक्त प्रतिवेदन में प्रस्तावित लीज सीमा से वन क्षेत्र की दूरी के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है।
5. समीपस्थ आबादी ग्राम–सेमरदर्री 0.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल, मंदिर एवं अस्पताल ग्राम–शिंगारबहरा 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 14 कि.मी. दूरी पर है।
6. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
7. जियोलॉजिकल रिजर्व 5,52,629.25 टन एवं माईनेबल रिजर्व 5,38,161 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा जावेगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। प्रसंस्करण इकाई के रूप में लीज क्षेत्र के भीतर में 2,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में क्रशर यूनिट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर होगी। ब्लास्टिंग किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न मदों मे जल खपत की मात्रा 10 घनमीटर/दिन होगी, जिसका स्त्रोत समीपस्थ बोरवेल/नदी है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जावेगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के 2.399 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 5,000 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में वर्षवार उत्खनन (First Five Year and after Five Year Production Plan) के गणना में विसंगतियां है।

9. प्रस्तुत एल.ओ.आई. में उल्लेखित खसरा नं. में से ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में खसरा नं 1214/2, 1215, 1238/1, 1239/2'क', 1239/2'ख', 1239/2'ग', 1239/3, 1239/1, 1239/3'ख', 1239/3'ग', 1239/3'ध', 1239/4, 1239/5, 1239/8, 1241/1'ग', 1237/4, 1247/1, 1247/2, 1254, 1272/2, 1273/2, 1273/7 एवं 1276/2 का उल्लेख नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में वर्षवार उत्खनन (First Five Year and after Five Year Production Plan) के गणना में विसंगतियों में सुधार कर संशोधित अनुमोदित क्वॉरी/माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि सहमति के आधार पर लिया गया है। अतः सभी भू–स्वामियों के भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. प्रस्तावित लीज की सीमा से वन भूमि की सीमा की दूरी बाबत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में शामिल होने वाले सभी खसरा नंबर (छूटे खसरे नंबर्स) का उल्लेख करते हुये ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार प्रस्तावित क्रशर इकाई स्थापना हेतु क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर बताया गया है, जबकि अनुमोदित क्वॉरी प्लान अनुसार यह क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर उल्लेखित है। अतः इस बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये। साथ ही क्रशर इकाई की क्षमता, प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, क्रशिंग/स्क्रीनिंग के दौरान उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये।
8. एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 248वीं बैठक दिनांक 18/07/2018 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 18/07/2018 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गयाः–

1. संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीगढ़ के पत्र क्रमांक 3714 दिनांक 24/07/2018 द्वारा जारी अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की गई है।
2. अवर सविच, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–5/2017/12, दिनांक 18/09/2017 द्वारा सैद्धांतिक सहमति निर्णय लिया गया है।

3. भूमि सहमति के आधार पर लिया गया है। अतः सभी भू स्वामियों के भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनन संक्रिया के संचालन हेतु लगभग सभी भूमि स्वामियों से सहमति प्राप्त कर ली गई है। अप्राप्त सहमति पत्र भू प्रवेश के पूर्व प्राप्त कर लिया जावेगा। इसका उल्लेख शासन द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक सहमति क्रमांक एफ 3–5/2017/12, दिनांक 18/09/2017 में किया गया है।

4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रारोड के पत्र क्रमांक 2585 दिनांक 23/08/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार ''वन भूमि से आवेदित भूमि की दूरी 370 मीटर है।''

5. ग्राम पंचायत सेमरदर्री का दिनांक 29/06/2018 को जारी संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें खसरा नं. 1214/2, 1215, 1238/1, 1239/2'क', 1239/2'ख', 1239/2'ग', 1239/3, 1239/1, 1239/3'ख', 1239/3'ग', 1239/3'ध', 1239/4, 1239/5, 1239/8, 1241/1'ग', 1237/4, 1247/1, 1247/2, 1254, 1272/2, 1273/2, 1273/7 एवं 1276/2 का उल्लेख किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना में प्रस्तावित क्रशर इकाई क्षेत्रफल टंकण त्रुटि के कारण 2000 वर्गमीटर अंकित होना बताया गया है, उसके स्थान पर क्रशर इकाई क्षेत्रफल अनुमोदित क्वॉरी प्लान में जैसा 1000 वर्गमीटर उल्लेखित है, मान्य होगा। प्रस्तावित क्रशर इकाई की क्षमता 50 टी.पी.एच. होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार अधिकतम एक दिन में 8 घण्टे संचालित किया जाएगा। क्रशर इकाई एवं अन्य स्थलों (हॉल रोड आदि) में वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे डस्ट उत्सर्जन पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके अतिरिक्त 6 से 8 मीटर की ऊंचाई तक ग्रीन स्क्रीन (विंड ब्रेकिंग वाल) लगाई जाएगी।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Thousand)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Thousand)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Thousand)**
Rs. 30.00	2%	Rs. 60.00	Plantation & Sanitation at identified Semardarri school	Rs. 60.00
			Medical facility in Village-Semardarri	
			Total	**Rs. 60.00**

8. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म–2 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशाधित अधिसूचना का.आ. 3611(अ) दिनांक 25/07/2018 अनुसार नहीं है। समिति का मत है कि प्रस्तुत आवेदन उक्त संशोधन अधिसूचना के पूर्व का है। अतः नये प्रारुप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) मंगाया जाना आवश्यक नहीं है।

10. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1403 दिनांक 05/12/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक हैं। अतः क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित खदान का रकबा 13.995 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नम्बर 1214/2, 1215, 1238/1, 1239/2'क', 1239/2'ख', 1239/2'ग', 1239/3, 1239/1, 1239/3'ख', 1239/3'ग', 1239/3'ध', 1239/4, 1239/5, 1239/8, 1240, 1241/1'ग', 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1244/1, 1244/2,3,4, 1245, 1246, 1237/4, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1254, 1272/2, 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1273/4, 1273/5, 1273/6, 1273/7, 1273/8 एवं 1276/2, ग्राम–सेमरदर्री, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 13.995 हेक्टेयर, डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 57,250.8 टन / वर्ष हेतु **संलग्न–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सुदर्शन दास विरूद्ध युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018) में दिनांक 20/08/2018 को पारित आदेश एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ को लेख पत्र दिनांक 20/09/2017 (प्रतिलिपि अध्यक्ष, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़) के संबंध में।

समिति द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सुदर्शन दास विरूद्ध युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018) में दिनांक 20/08/2018 को पारित आदेश तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ को लेख पत्र दिनांक 20/09/2017 (प्रतिलिपि अध्यक्ष, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़) का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ को लेख पत्र दिनांक 20/09/2017 में उठाये गये बिन्दुओं पर उत्तर प्रेषित किया जाना है एवं माननीय

एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा भी दिनांक 20/08/2018 को पारित आदेश में 03 माह के अंदर वस्तुस्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रकरण से संबंधित समस्त सुसंगत जानकारी एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर दिये जाने वाले उत्तर का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया जाये, ताकि विचार विमर्श उपरांत एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को अंतिम उत्तर का प्रारूप प्रस्तुत किया जा सके।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR INSTALLATION OF NEW INDUCTION FURANCE OF CAPACITY - 57,600 TONNES / YEAR AND EXPANSION IN EXISTING ROLLING MILL OF CAPACITY- 30,000 TONNES / YEAR TO 56,860 TONNES / YEAR (THROUGH HOT CHARGING 54,860 TONNES / YEAR AND THROUGH REHEATING FURNACE 2,000 TONNES / YEAR OF M/S H.S.R. RE-ROLLERS PVT. LIMITED

I. Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace and rolling mill plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified

without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office

of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. The project proponent shall provide waste heat recovery system (pre-heating of combustion air) at the flue gases of reheating furnace(s).

ii. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as maximum as possible.

iii. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). The project proponent shall not utilize any solid fuel such as coal as fuel directly in the re-heating furnace. Only gas from producer gas plant shall be used in reheating furnace as a fuel. No additional reheating furnace(s) shall be installed.

iv. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

v. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be sold to slag crushing units. End cutting from rolling mill shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Mill scales shall be sold to sinter plant / Ferro alloys / Casting units. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Oily scum and metallic sludge recovered from rolling mills ETP shall be mixed, dried, briquetted and reused in melting furnaces.

iv. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

v. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

vi. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area equal to 33% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.
ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 1000	1%	Rs. 10.00	It is proposed to implement following facilities in Adwani Wrillington School, Birgaon & Govt High school, Urla:- i. Rain Water Harvesting structure of suitable capacity. ii. RO water purifier installation for drinking water. iii. Implementation & maintenance of sanitation	Rs. 10.00

			facilities. iv. Environment awareness program. v. Providing the separate dust bins.	
			Total	**Rs. 10.00**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same

at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION IN EXISTING ROLLED PRODUCTS (THROUGH HOT INDUCTION FURNACE AND ROLLING MILL ROUTE) OF CAPACITY- 30,000 TONNES / YEAR TO 57,670 TONNES / YEAR OF M/S BHAGWATI POWER AND STEEL LIMITED (UNIT- II)

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 20 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the

respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	20 mg/Nm^3 (Twenty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Practice hot charging of slabs and billets/blooms.
ii. The project proponent shall not utilize any solid / liquid / gases fuel such as coal, furnace oil, diesel, producer gas etc. in any form as a fuel. Reheating furnace(s) (existing if any) shall be dismantled without delay. No reheating furnace(s) shall be installed for reheating the ingots / billets.
iii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iv. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be sold to slag crushing units. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area equal to 33% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.
ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 4875	1%	Rs. 48.75	It is proposed to implement following facilities in Govt Middle school, Sankara, Shyamacharan Shukla Degree College, Dharsiwa, Navin Prathmik Shala, Siltara & Govt Middle and Higher Secondary School, Siltara:- i. Solar Panels & lightening system. ii. Rain Water Harvesting structure of suitable capacity.	Rs. 38.75

			iii. RO water purifier installation for drinking water. iv. Up-gradation & maintenance of sanitation facilities. v. Environment Education awareness Program. vi. Segregated garbage collection system in education building.	
			Green belt plantation at Naya Raipur in co-ordination with NRDA	10.00
			Total	**Rs. 48.75**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by

the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

संलग्नक – 03

मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, को खसरा नम्बर 1214/2, 1215, 1238/1, 1239/2'क', 1239/2'ख', 1239/2'ग', 1239/3, 1239/1, 1239/3'ख', 1239/3'ग', 1239/3'ध', 1239/4, 1239/5, 1239/8, 1240, 1241/1'ग', 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1244/1, 1244/2,3,4, 1245, 1246, 1237/4, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1254, 1272/2, 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1273/4, 1273/5, 1273/6, 1273/7, 1273/8 एवं 1276/2, कुल लीज क्षेत्र 13.995 हेक्टेयर, ग्राम–सेमरदर्री, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर में डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) क्षमता– 57,250.8 टन / वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 13.995 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 57,250.8 टन / वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जावे।

3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनर्उपयोग किया जावे। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जावे एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जावे। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जावे।

4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जावे।

5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलिग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जावे। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जावे। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुॅच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जावे।

6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट

मानकों के अनुरूप रखा जावेगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जावे तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जावे।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जावे। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जावे।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जावे।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुर्न भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जावे, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जावे।

12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जावे, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जावेः–

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Thousand)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Thousand)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Thousand)**
Rs. 30.00	2%	Rs. 60.00	Plantation & Sanitation at identified Semardarri school	Rs. 60.00

			Medical facility in Village- Semardarri	
			Total	**Rs. 60.00**

14. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जावे। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावे।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2018–19 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 3000 पौधों का रोपण खदान के चारों ओर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जावे।**

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जावे। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिये। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किये जावें एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जावे।

17. सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जावे। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जावे। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जावे, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

18. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जावेगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।

19. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जावे कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।

21. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

22. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावे।

23. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

24. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

25. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

27. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइटwww.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

28. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

29. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः

नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**